



राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग  
NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES

संगठनों/विभागों के स्तर पर अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए विभिन्न सुरक्षणों  
एवं कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की समीक्षा

**Review of implementation of various safeguards and programmes  
for development of Scheduled Tribes at the level of  
Departments/Organisations.**

राज्य/संघ शासित राज्य का नाम \_\_\_\_\_

Name of the State/UT \_\_\_\_\_

विभाग का नाम \_\_\_\_\_

Name of the Department \_\_\_\_\_

1. संगठनात्मक गठन  
**Organisational Setup**

कृपया प्रस्तुत करें  
Please furnish

- (i) विभाग के सचिव/प्रमुख का नाम और संपर्क विवरण

Name and Contact details of the Secretary/Head of the Department

नाम एवं पदनाम:

Name and designation:

पता:

Address:

दूरभाष सं.:

Telephone No.:

फैक्स सं.:

FAX No.

मोबाइल सं.:

Mobile No.:  
ई-मेल आईडी  
E-mail ID:

- (ii) विभाग में अनुसूचित जनजातियों के लिए संपर्क अधिकारी के रूप में नामित और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को सूचना प्रस्तुत करने के लिए पद नामित अधिकारी का विवरण

Details of the Officer nominated as Liaison Officer for STs in the Department and designated to furnish information to the NCST:

नाम

Name:

पदनाम:

Designation:

पता

Address:

दूरभाष सं.: कार्यालय : \_\_\_\_\_ फ़ैक्स : \_\_\_\_\_ मोबाइल \_\_\_\_\_

Telephone: Office: \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_ Mob: \_\_\_\_\_

ई-मेल आईडी

Email ID :

- (iii) कृपया अपने विभाग का संगठनात्मक चार्ट दें।

Please give the organizational chart of your Department.

- (iv) कृपया अपने विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन स्वायत्त संगठनों की पृथक सूची इंगित करें।

(क) संबद्ध कार्यालयों

(ख) अधीनस्थ कार्यालयों एवं

(ग) लोक क्षेत्र उपक्रमों

Please indicate separately the List of Autonomous Organisations under the administrative control of your Department

(a) Attached Offices

(b) Subordinate Offices and

(c) PSEs

(v) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा आयोजित की गई अंतिम समीक्षा की तारीख .....

Last Review by National Commission for Scheduled Tribes held on : .....

(vi) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा समीक्षा रिपोर्ट/सिफारिशों पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट भेजने की तारीख .....

Action taken report on the report/recommendations of review by NCST sent on : .....

(कृपया की गई कार्रवाई की रिपोर्ट की एक प्रति संलग्न करें)  
(Please attach a copy of the Action taken report)

## 2. विभाग को सौंपे गए विषयगत मुद्दे

कृपया विभाग को सौंपे गए और विभाग द्वारा हाथ में लिए गए विषयगत मुद्दों के बारे में एक विस्तृत नोट प्रस्तुत करें।

### Subject matters assigned to the Department

Please furnish a detailed Note about the subject matters assigned to the Department and the undertaken by the Department.

## 3. अनुसूचित जनजातियों के लिए सेवा सुरक्षण

### Service Safeguards for Scheduled Tribes

#### 3.1 रोजगार स्थिति

#### Employment status

(क) विभाग

#### (a) Department

(i) कृपया निम्नलिखित तालिका में आपके विभाग/संगठन की अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व सहित समूहवार क्षमता इंगित करें :

Please indicate the Group-wise strength of your Department/Organisation only along with the representation of Scheduled Tribes in the following Tables:

तालिका 1  
TABLE 1

(02/07/1997 के अनुसार)  
(As on 02/07/1997)

क्र.सं S. NO.	पदों का समूह Group of Posts	स्वीकृत पदों की कुल सं० Total No. of Sanctioned posts.	मौजूदा कर्मचारियों की कुल सं० Total No. of Employee s in position	उनमें में अ.ज. जा. कर्मचारियों की सं० No. of ST Employee s among them	कुल कर्मचारियों में से अ.ज.जा. की प्रतिशतता Percentage of ST to total employees	टिप्पणियां Remarks
1.	समूह 'क' (समूह 'क' के निम्नतम स्तर को छोड़कर) Group 'A'(other than lowest rung of group'A' )					
2.	निम्नतम स्तर पर समूह 'क' Group 'A' at lowest rung					
3.	समूह 'ख' (राजपत्रित) Group 'B' (Gazetted)					
4.	समूह 'ख' (अराजपत्रित) Group 'B' (NonGazetted)					
5.	समूह 'ग' (सभी एमटीएस को छोड़कर) Group 'C' (other than all Mts)					
6.	समूह 'ग' (केवल एमटीएस-सफाई कर्मचारियों को छोड़कर) Group 'c' (MTS only-Other than Safai Karamcharies)					

7.	समूह 'ग' (एमटीएस-सफाई कर्मचारी) Group 'c' (MTS- Safai Karamcharies) Safai Karamcharies					
	कूल Total					

तालिका 2  
TABLE 2

(01/01/2014 के अनुसार)  
(As on 01/01/2014)

क्र.सं S. NO.	पदों का समूह Group of Posts	स्वीकृत पदों की कुल सं० Total No. of Sanctioned posts.	मौजूदा कर्मचारियों की कुल सं० Total No. of Employee s in position	उनमें में अ.ज. जा. कर्मचारियों की सं० No. of ST Employee s among them	कुल कर्मचारियों में से अ.ज.जा. की प्रतिशतता Percentage of ST to total employees	टिप्पणियां Remarks
1.	समूह 'क' (समूह 'क' के निम्नतम स्तर को छोड़कर) Group 'A'(other than lowest rung of group'A' )					
2.	निम्नतम स्तर पर समूह 'क' Group 'A' at lowest rung					
3.	समूह 'ख' (राजपत्रित) Group 'B' (Gazetted)					
4.	समूह 'ख' (अराजपत्रित) Group 'B' (NonGazetted)					
5.	समूह 'ग' (सभी एमटीएस को					

	छोड़कर) Group 'C' (other than all Mts)					
6.	समूह 'ग' (केवल एमटीएस-सफाई कर्मचारियों को छोड़कर) Group 'c' (MTS only-Other than Safai Karamcharies)					
7.	समूह 'ग' (एमटीएस-सफाई कर्मचारी) Group 'c' (MTS-Safai Karamcharies) Safai Karamcharies					
	कूल Total					

तलिका 3  
TABLE 3

(01/01/2023 के अनुसार)  
(As on 01/01/2023)

क्रं.सं S. NO.	पदों का समूह Group of Posts	स्वीकृत पदों की कुल सं० Total No. of Sanctioned posts.	मौजूदा कर्मचारियों की कुल सं० Total No. of Employees in position	उनमें में अ.ज. जा. कर्मचारियों की सं० No. of ST Employees among them	कुल कर्मचारियों में से अ.ज.जा. की प्रतिशतता Percentage of ST to total employees	टिप्पणियां Remarks
1.	समूह 'क' (समूह 'क' के निम्नतम स्तर को छोड़कर) Group 'A'(other than lowest rung of group'A')					
2.	निम्नतम स्तर पर समूह 'क' Group 'A' at lowest					

	rung					
3.	समूह 'ख' (राजपत्रित) Group 'B' (Gazetted)					
4.	समूह 'ख' (अराजपत्रित) Group 'B' (NonGazetted)					
5.	समूह 'ग' (सभी एमटीएस को छोड़कर) Group 'C' (other than all Mts)					
6.	समूह 'ग' (केवल एमटीएस-सफाई कर्मचारियों को छोड़कर) Group 'c' (MTS only-Other than Safai Karamcharies)					
7.	समूह 'ग' (एमटीएस-सफाई कर्मचारी) Group 'c' (MTS- Safai Karamcharies) Safai Karamcharies					
	कूल Total					

(ख) संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय/लोकक्षेत्र उपक्रम और स्वायत्त संगठन

**(b) Attached/ Subordinate Offices/ PSUs and Autonomous Organisations**

- (i) कृपया विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन, यदि कोई है तो, संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों/लोकक्षेत्र उपक्रमों और स्वायत्त संगठनों की सूची प्रस्तुत करें।

Please furnish a list of Attached/ Subordinate Offices/ PSUs and Autonomous Organisations under the administrative control of Department if any,

- (ii) कृपया विभाग में अन्य मंत्रालय द्वारा पद स्थापित किए जाने वाली नियुक्ति के पदों के बारे में अर्थात् ऐसे पद जिनके संबंध में संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी कोई अन्य विभाग है, सूचना प्रस्तुत

करें।

Please furnish details about the Posts, in the Department, appointment to which are made by posting by other Departments, i.e. the posts with respect to which some other Department is the Cadre Controlling Authority.

- (iii) कृपया विभाग और संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों/लोकक्षेत्र उपक्रमों और स्वायत्त संगठनों के भी बारे में सूचना प्रस्तुत करें जिनके संबंध में आपका विभाग संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी है।

Please also furnish details about the Services/ Posts, in the Department and also in respect of Attached/ Subordinate Offices/ PSUs and Autonomous Organisations, with respect to which your Department is the Cadre Controlling Authority.

### 3.2 विभाग/संगठन द्वारा नियंत्रित किए जा रहे पदों के संबंध में अनुसूचित जनजातियों की भर्ती एवं प्रतिनिधित्व।

#### Recruitment and Representation of STs. with reference to posts being controlled by the Department/Organisation.

- (i) कृपया सीधी भर्ती एवं पदोन्नति में अनुसूचित जनजातियों के लिए उपलब्ध रियायतों/छूट को इंगित करते हुए सभी ग्रेड/पदों की भर्ती और पदोन्नति नीति पर संक्षिप्त नोट प्रस्तुत करें। भर्ती नियमावली की एक सूची संलग्न करें।

Please give a brief note on the recruitment and promotion policy in respect of all Grades/ posts in the Ministry/Department indicating the available concessions/ relaxations for STs in direct recruitment and promotion. A list of Recruitment Rules may be attached.

- (ii) कृपया निम्नलिखित तालिका में सीधी भर्ती और पदोन्नति में समूह 'क', 'ख' और 'ग' पदों के लिए अलग-अलग नीचे (तालिका 6) में दिए गए प्रपत्र में पिछले तीन कैलेंडर वर्षों के लिए अनुसूचित जनजातियों के लिए स्वीकृत पदों, अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित संख्या और बिना भरे आरक्षित पदों के संबंध में सूचना प्रस्तुत करें।

Please furnish the information in the following TABLE with respect to sanctioned posts, number reserved for STs and unfilled reserved posts for the last three calendar years in the format given below (TABLE 4) separately for Group 'A', 'B' and 'C' posts in direct recruitment and promotion.

तालिका 4  
TABLE 4

(यदि आवश्यक हो तो पृथक विवरण संलग्न करें)  
(Attach separate statement if necessary)

वर्ष Year	स्वीकृत पदों की कुल सं० Total No. of sanctioned posts	के अधीन प्रतिशतता Percentage under	के अधीन हुई रिक्तियों की सं० No. of vacancies occurred under	के अधीन वास्तव में भरी गई रिक्तियों की सं० No. of vacancies actually	के अधीन अ. ज.जा. के लिए आरक्षित रिक्तियों की सं० No. of vacancies reserved for	के अधीन नियुक्त अ.ज.जा. उम्मीदवारों की सं० (कोष्ठक में स्वयं की योग्यता पर चयनों की सं० इंगित करें)	कमी Shortfall	बैकलॉग Backlog



1	2	filled under		STs under		No. of ST candidates appointed (number of selections on own merit to be indicated in brackets) under		13	14	15	16	
		सीधी भर्ती DR	पदोन्नति Pro	सीधी भर्ती DR	पदोन्नति Pro	सीधी भर्ती DR	पदोन्नति Pro					सीधी भर्ती DR
	समूह 'क' Group 'A'											
	समूह 'ख' Group 'B'											
	समूह 'ग' Group 'C'											
	समूह 'घ' Group 'D'											

DR: Direct Recruitment डीआर: सीधी भर्ती

Pro: Promotion प्रो: पदोन्नति

### तालिका 4(i) to 4(iii)

### TABLE 4(i) to 4(iii)

(प्रत्येक कैलेंडर वर्ष के संबंध में पृथक विवरण संलग्न करें)  
(Attach separate statement in r/o each calendar year)

क्र.सं. S.NO	पद का नाम Name of post	स्वीकृत पदों की कुल सं० Total No. of sanctioned posts	के अधीन आरआर प्रतिशतता As per RRs Percentage under		के अधीन हुई रिक्तियों की सं० No. of vacancies occurred under		के अधीन वास्तव में भरी गई रिक्तियों की सं० No. of vacancies actually filled under		के अधीन अ. ज.जा. के लिए आरक्षित रिक्तियों की सं० No. of vacancies reserved for STs under		के अधीन नियुक्त अ.ज. जा. उम्मीदवारों की सं० (कोष्ठक में स्वयं की योग्यता पर चयनों की सं० इंगित करें) No. of ST candidates appointed (number of selections on own merit to be indicated in brackets) under		कमी Shortfall		बैकलॉग Backlog	
			सीधी भर्ती DR	पदोन्नति Pro	सीधी भर्ती DR	पदोन्नति Pro	सीधी भर्ती DR	पदोन्नति Pro	सीधी भर्ती DR	पदोन्नति Pro	सीधी भर्ती DR	पदोन्नति Pro	सीधी भर्ती DR	पदोन्नति Pro	सीधी भर्ती DR	पदोन्नति Pro
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
(i)																
(ii)																
(iii)																
(iv)																

(v)																				
(vi)																				
(vii)																				
(viii)																				
(ix)																				
(x)																				
(xi)																				
(xii)																				
(xiii)																				
(xiv)																				
(xv)																				
(xvi)																				
(xvii)																				
(xviii)																				
(xix)																				
(xx)																				

DR: Direct Recruitment डीआर: सीधी भर्ती

Pro: Promotion प्रो: पदोन्नति

- (iv) कृपया यह भी इंगित करें कि क्या बिना भरी आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए विशेष भर्ती अभियान (अभियानों) के माध्यम से कोई विशेष प्रयास किए गए और समय-समय पर इस विषय में डीओपीटी दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए उसके परिणाम इंगित करें।

Please also indicate whether any special efforts were made to fill up the unfilled reserved vacancies through Special Recruitment Drive(s) and the results thereof taking into consideration DoPT's guidelines on the subject issued from time to time.

### 3.3 रोस्टर्स का रख-रखाव

### 3.3 Maintenance of Rosters

- (i) क्या डीओपीटी के दिनांक 19/01/2007 के का.ज्ञा संख्या 14017-2-1997 स्था(आरआर) के अनुसार एक पद को सीधी भर्ती या पदोन्नति द्वारा भरे जाने की पहचान से संबंधित नियम का अनुसरण किया जा रहा है।

Whether rule relating to identification of a vacant post to be filled by DR or promotion was being followed as per DoPT OM No. 14017\_2\_1997\_Estt(RR) dated. 19/01/2007

रिक्त पद (पदों) की भर्ती के तरीके की पहचान के बाद निर्धारित पद आधारित रोस्टर्स के माध्यम से अनुसूचित जनजाति के लिए अधिकृत आरक्षण की गणना की जाएगी। कृपया दर्शाएं कि क्या प्रत्येक पद या पदों के समूह के लिए अलग-अलग रोस्टर रखे जा रहे हैं।

After identifying the mode of recruitment of the vacant post(s), reservation entitlement for ST has to be worked out through prescribed Post Based Rosters. Please state whether separate rosters are being maintained for each post or group of posts separately for

(क) सीधी भर्ती

(ख) पदोन्नति द्वारा भरे गए पद (जहां आरक्षण लागू है)?

कृपया विवरण प्रस्तुत करें।

(a) direct recruitment

(b) posts filled by promotions (where reservation is applicable)?

Please furnish details.

- (ii) संगठन/विभाग में तकनीकी और गैर-तकनीकी पदों की श्रेणियां क्या हैं जिसके लिए एससी/एसटी के लिए आरक्षण में छूट है या आरक्षण विहित नहीं किया गया है और उसके कारण? पदों की सीधी भर्ती और पदोन्नति के लिए स्तर, वेतन श्रृंखला और ऐसे पदों की संख्या को भी इंगित करते हुए अलग-अलग सूचना दी जाए

What are the categories of posts both technical and non-technical in the Organisation/Department, for which reservation for SC/ST is exempt or reservation has not been prescribed and the reasons thereof? Information may be given separately for direct recruitment and promotion of posts indicating also the level, pay scales and number of such posts.

- (iii) क्या पृथक रूप से आरक्षण रोस्टर का रखरखाव किया जा रहा है—  
(क) स्थायी नियुक्ति और स्थायी होने के लिए संभावित या अनिश्चितकाल तक जारी रहने वाली अस्थायी नियुक्तियां  
(ख) तदर्थ नियुक्तियों और 45 दिनों या अधिक अवधि की विशुद्ध रूप से अस्थायी नियुक्तियों  
(ग) बाह्य स्रोतों/संविदाओं के माध्यम से की गई नियुक्तियां। कृपया ब्यौरा प्रस्तुत करें।

Whether reservation rosters are also being maintained separately for

- (a) permanent appointments and temporary appointments likely to become permanent or continue indefinitely  
(b) Ad-hoc appointments and purely temporary appointments of 45 days or more duration?  
(c) Appointments made through outsourcing /contracts

Please furnish details.

- (iv) क्या रोस्टर प्रणाली को कम्प्यूटरीकृत करने के लिए कदम उठाये गये हैं? यदि हां, तो किन कठिनाईयों का सामना किया जा रहा है और यदि नहीं, तो वह समय सीमा जब इसे स्थापित किया जाएगा?

Whether steps have been taken to computerize the roster system? If yes, what difficulties are being faced and if not, the time-frame by which it will be established?

- (v) क्या प्रत्येक भर्ती वर्ष के अंत में रोस्टर पंजिका में आगे ले जायी गयी/कमी/बैकलॉग/आरक्षित रिक्तियों की अधिकता का सारांश दिया गया है?

Whether summary of the carry forward/ shortfall/ backlog/ excess of reserved vacancies is given in the roster register at the end of each recruitment year?

- (vi) क्या रोस्टर्स के रख-रखाव के लिए सीधी भती में पदों के समूहीकरण की प्रक्रिया अपनायी जाती है? यदि हां, तो कृपया समूहीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत कवर होने वाले उनके वेतनमान के साथ पदों को इंगित करते हुए ब्यौरा दें। कृपया उस प्राधिकारी को भी इंगित करें जिसने पदों के समूहीकरण का अनुमोदन किया था।

Is the procedure of grouping the posts in the direct recruitment adopted for maintaining rosters? If so, please give details indicating the posts with their pay scale covered under the grouping procedure. Also, please indicate the authority that approved the grouping of posts.

### 3.4 (क) सीधी भर्ती और पदोन्नतियों में छूट एवं रियायतें

#### (a) Relaxations and Concessions in Direct Recruitment and Promotions

- (i) कृपया सीधी भर्ती के मामले में और समूह 'ग', 'ख' और 'क' में तथा समूह 'क' के अंदर पदों पर पदोन्नति देते समय अनुसूचित जनजातियों को उपलब्ध रियायतों के प्रावधान को इंगित करें।

Please indicate the provision of concessions available to STs in the matter of Direct Recruitment and while making promotion to posts in groups 'C', 'B' and 'A' and within Group 'A'.

- (ii) क्या सेवाओं में आरक्षण पर डीओपीटी विवरणिका में निहित अद्यतन निर्देशों का अनुसरण किया जा रहा है? इस संबंध में जारी आंतरिक निर्देशों की प्रति संलग्न करें।

Whether up-to-date instructions contained in the DoPT brochure on reservation in services is being followed?. A copy of the internal instructions issued in this regard may be enclosed.

#### (b) वरिष्ठता Seniority

- (iii) कृपया पूर्व में पदोन्नत अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों की वरिष्ठता से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 16(4ख) के अंतर्गत प्रावधान के कार्यान्वयन, जिसके लिए संविधान (85वां) संशोधन अधिनियम, 2001 के अनुसरण में डीओपीटी के दिनांक 21.01.2002 के का. ज्ञा. द्वारा निर्देश भी अधिसूचित किए गए हैं के लिए प्राप्त शिकायतों का आकार और, उसमें आ रही कठिनाइयों को, यदि कोई हैं तो, इंगित करें।

Please indicate the size of complaints received for, and the problems if any being faced in, implementing the provision under Article 16 (4b) of the Constitution, relating to consequential seniority of ST employees promoted earlier, for which instructions have also been notified vide DoPT O M dated 21.01.2002.in persuasion of the Constitution (85th) Amendment Act, 2001.

### 3.5 अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पदों का अनारक्षण (डी-रिजर्वेशन) Dereservation of posts reserved for STs

- (i) कृपया 2003-04 से पूर्व अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पदों के अनुसूचित जातियों के साथ परस्पर अदला-बदली एवं इसके विलोमतः ब्यौरा प्रस्तुत करें।

Please furnish the details of the posts reserved for STs inter-changed with SCs and vice-versa after 2003-04.

- (ii) कृपया निम्नलिखित **तालिका 5** में पिछले तीन वर्षों के दौरान पदोन्नति एवं सीधी भर्ती में, यदि कोई है तो, विभिन्न पदों के अनारक्षण के लिए अनुमोदन हेतु कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग एवं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को भेजे गए प्रस्तावों (विभाग/संगठन के नियंत्रण के अधीन समीक्षाधीन) के संबंध में ब्यौरा प्रस्तुत करें। यदि आरक्षण का प्रस्ताव राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को प्रस्तुत नहीं किया गया था और पदों को अनारक्षित किया गया तो ऐसी स्थिति में उसके कारण स्पष्ट करें और प्राधिकारी का ब्यौरा दें जिसने पदों को अनारक्षित किया था।

Please furnish the details in the following **TABLE 5** regarding proposals for dereservation of various posts, (under the Control of the Department/ Organisation under review) in promotion and direct recruitment, if any, sent to the Deptt. of Personnel & Training & the National Commission for Scheduled Tribes for approval during last three years . In case dereservation proposal was not submitted to the National Commission for Scheduled Tribes, and post were dereserved, please explain the reasons thereof and the authority who had de-reserved the posts

**तालिका 6**  
**TABLE 6**

क्र.सं० S.No.	पद का नाम Name of post	ग्रेड और वेतनमान Grade and Pay Scale	अन्य श्रेणी के उम्मीदवारों से भरी गई अ.ज. जा. के लिए आरक्षित रिक्तियों की सं० No. of ST reserved vacancies filled from other category candidates	कैलेंडर वर्ष जब अ.ज. जा.रिक्ति उत्पन्न हुई Calendar year when ST vacancy arose	क्या अनारक्षित के रूप में परिचालित करने से पहले अनारक्षण के लिए डीओपीटी और एनसीएसटी दोनों का विनिर्दिष्ट अनुमोदन प्राप्त किया गया अथवा नहीं Whether specific approval both of DoPT and NCST was received for dereservation before circulating as unreserved	यदि स्तंभ (6) का उत्तर नहीं है तो कृपया अनारक्षण का अनुमोदन देने वाले प्राधिकारी एवं उसके आधारों को इंगित करें। If answer under Col. (6) is no, please indicate the Authority which approved dereservation and the grounds thereof.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1						
2						
3						


### 3.7 अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों की नियुक्ति के लिए चयन प्रक्रिया Selection procedure for appointing ST candidates

- (i) कृपया इंगित करें कि क्या अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों का साक्षात्कार अलग तारीखों अर्थात् विभिन्न पदों के लिए सामान्य उम्मीदवारों के साक्षात्कार के दिन को छोड़कर अन्य दिनों को लिया जाता है? इस संबंध में जारी आंतरिक निर्देशों की प्रति संलग्न करें।

Please indicate whether the Scheduled Tribe candidates are interviewed on separate dates i.e. other than the days on which the general candidates are interviewed for various posts? A copy of the internal instructions issued in this regard may be enclosed.

- (ii) कृपया इंगित करें कि क्या उन पदों के लिए विभिन्न भर्ती बोर्डों/चयन समितियों/विभागीय पदोन्नति समितियों में अनुसूचित जनजाति का कोई प्रतिनिधि शामिल किया जाता है जिनमें अनुसूचित जनजाति के लिए छूट/रियायतें लागू हैं। यदि हां तो कृपया भर्ती बोर्डों/चयन समितियों/विभागीय पदोन्नति समितियों के अन्य सदस्यों की तुलना में अनुसूचित जनजाति प्रतिनिधि का स्तर इंगित करें। इस संबंध में जारी आंतरिक निर्देशों की प्रति संलग्न करें।

Please indicate whether any representative of Scheduled Tribes is included in various Recruitment Boards/ Selection Committees/ DPCs for the posts wherein reservations/ concessions for Scheduled Tribes are applicable? If, so, the level of ST representative as compared to the other members of the Recruitment Board/ Selection Committees/ DPCs may please be indicated? A copy of the internal instructions issued in this regard may be enclosed.

- (iii) कृपया यह भी इंगित करें कि क्या किसी अवसर पर कार्रवाइयों में अनुसूचित जनजाति प्रतिनिधि(यों) का विसम्मति नोट रिकॉर्ड किया गया?

Please also indicate whether at any occasion, the ST representative(s) recorded note of dissent in the proceedings?

- (iv) कृपया बताएं कि क्या सीधी भर्ती के लिए विज्ञापनों में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित पदों की संख्या स्पष्ट रूप से इंगित की जाती है? कृपया बताएं कि क्या विज्ञापनों की प्रतियां अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संघ और संगठनों को भेजी जाती है?

Please state whether the number of posts reserved for ST is clearly indicated in the advertisements for direct recruitment? Please state whether copies of advertisements are sent to Welfare Association and Organisations of Scheduled Tribes?

### 3.8 मानव संसाधन विकास एवं प्रशिक्षण

#### HRD and Training

- (i) क्या अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों को उनकी कमियों को दूर करने के लिए उन्हें सक्षम बनाने हेतु अतिरिक्त सहयोग/प्रशिक्षण उपलब्ध करवाने के लिए विभाग/संगठन की कोई मानव संसाधन विकास नीति है? ऐसे प्रावधानों का कर्मचारियों की प्रत्येक श्रेणी के लिए विवरण दिया जाए।

Whether Department/ Organization has any HRD policy to provide extra support/ training to ST employees to enable them to cover up their deficiencies?. The details of such provisions may be spelt out for each category of employee.

- (ii) कृपया पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक एकक/स्थापना से विशेषीकृत प्रशिक्षण के लिए विदेश भेजे गए कर्मचारियों की संख्या एवं प्रत्येक वर्ष में उनमें से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों की संख्या बताएं।

Please give the number of employees sent for specialized training abroad during the last three years and the number of Scheduled Tribes employees among them in each year.

### 3.9 भर्ती नियमों में संशोधन

#### Amendment of Recruitment Rules

डीओपीटी के दिनांक 6 नवम्बर, 2003 के का.ज्ञा. सं० 36012/17/2002-स्थापना(आ.) का पैरा 3क (iv) प्रावधान करता है कि यदि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़ा वर्गों की आरक्षित रिक्तियां भरी नहीं जा सकती हैं और बैकलॉग रिक्तियों के रूप में आगे ले जायी जाती हैं और अनुवर्ती भर्ती वर्ष में भी रिक्त रहती हैं, उन्हें जब तक उस श्रेणी के उम्मीदवारों द्वारा भर नहीं ली जाती जिसके लिए वे आरक्षित हैं पश्चात्वर्ती भर्ती वर्ष (वर्षों) के लिए बैकलॉग रिक्तियों के रूप में आगे ले जाया जाएगा। इसी प्रकार उसी कार्यालय ज्ञापन का पैरा 4 प्रावधान करता है कि यदि आरक्षण कोटा पूर्ण नहीं होता है तो उस संवर्ग में जब कभी भर्तियां की जाती हैं, आरक्षण कोटे को पूर्ण करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। इस प्रकार, इस कारण से पद आधारित आरक्षण के मामले में आरक्षण ऐसे व्यपगत नहीं होगा कि आरक्षित पदों को वर्षों की एक विनिर्दिष्ट संख्या में भरा नहीं जा सका था।

पद आधारित रोस्टर के संबंध में डीओपीटी के अनुदेश, पदोन्नति से सीधी भर्ती और इसके विलोमतः आरक्षित बिन्दु के विनिमय का प्रावधान भी करते हैं यदि भर्ती के खास तरीके से योग्य उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हों। इन निर्देशों के दृष्टिकोण से अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों के विरुद्ध अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों के आगमन को सुकर बनाने के लिए विभिन्न पदों के भर्ती नियमों को संशोधित करना आवश्यक हो जाता है। कृपया पद आधारित रोस्टरों को लागू करने के बाद विभाग/संगठन के नियंत्रणाधीन विभिन्न पदों के संबंध में इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए भर्ती नियमों को संशोधित करने हेतु उठाये गये कदमों को इंगित करें।

Para 3 A (iv) of the DoPT OM No. 36012/17/2002-Estt.(Res) dated 6th November, 2003 provides that if vacancies reserved for SCs/STs/OBCs cannot be filled up and are carried forward as backlog vacancies and remain unfilled in the following recruitment year also, they will be carried forward as backlog vacancies for subsequent recruitment year(s) as long as these are not filled by candidates of the category for which these are reserved. Similarly, Para 4 of the same OM stipulates that if reservation quota is not complete, efforts would be made to complete the reservation quota whenever the recruitments are made in the cadre. Thus, reservation would not lapse in case of post based reservation for the reason that reserved posts could not be filled for a specified number of years.

The DoPT instructions regarding Post Based Roster also provide for exchange of reserved point from promotion to Direct Recruitment and vice-versa, if suitable candidates are not available from a particular mode of recruitment. In view of these directives it becomes necessary to amend the Recruitment Rules of various posts to facilitate induction of ST candidates against vacancies reserved for Scheduled Tribes. Please indicate the steps taken to amend the Recruitment Rules, to meet this objective in respect of various posts under the control of the Department/ Organisation, after induction of the Post Based Rosters.

### **3.10. आरक्षण नीति के कार्यान्वयन के लिए मॉनिटरिंग प्रणाली**

#### **Monitoring System for implementation of reservation policy**

- (i) यह सुनिश्चित करने के लिए कि विभाग और विभागीय के नियंत्रणाधीन संगठन/लोकक्षेत्र उपक्रमों में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण नीति का उचित रूप से कार्यान्वयन हो, आपके विभाग/संगठन द्वारा क्या जांच युक्ति अपनायी जाती है?

What are the checks devised by your Department/ Organization to ensure that the reservation policy for STs is implemented properly in the Department and also in the Organisations / PSUs under the control of the Department?.

- (ii) अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों की शिकायतों के निवारण के लिए निर्धारित प्रक्रिया क्या है?

What is the procedure prescribed for redressal of grievances of Scheduled Tribes employees?

- (iii) क्या अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों की शिकायतों को दर्ज करने एवं मॉनिटर करने के लिए शिकायत पंजिका रखी जा रही है?

Whether a complaint register is being maintained in order to register and monitor the grievances of ST employees?

- (iv) क्या कम्प्यूटरीकृत शिकायत प्रबंधन प्रणाली लागू की जा रही है या नहीं? यदि नहीं तो इसको स्थापित करने के लिए समय सीमा बताएं।

Whether Computerized Grievance Management System is being implemented



or not?, if not, time frame for its establishment.

- (v) क्या संपर्क अधिकारी के प्रत्यक्ष नियंत्रण के अधीन अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है? यदि हां तो, कृपया इस प्रकोष्ठ की संरचना को इंगित करें।

Has a Scheduled Tribes Cell been set up under the direct control of Liaison Officer? If so, please indicate the composition of this cell.

- (vi) कृपया मुख्यालय में और आपके विभाग/संगठन के नियंत्रणाधीन संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों/लोकक्षेत्र उपक्रमों में मुख्य संपर्क अधिकारी/संपर्क अधिकारी का नाम, पदनाम, फोन/फैक्स नम्बर तथा ई-मेल पते इंगित करें।

Please indicate the name, designation, phone/ FAX number and e-mail addresses of the Chief Liaison Officer/ Liaison Officer in the Hq. Office of the Attached/ Sub-Ordinate Office/ PSUs under the control of your Department.

- (vii) क्या आपका विभाग/संगठन अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों/अनुसूचित जनजाति कर्मचारी कल्याण संघ के साथ उनकी समस्याओं एवं शिकायतों का निपटान करने के लिए आवधिक बैठकें आयोजित करता है? कृपया ऐसी बैठकों का ब्यौरा/बारम्बारता प्रस्तुत करें। संघ के साथ अंतिम बैठक का कार्यवृत्त संलग्न करें।

Does your Department hold periodical meetings with recognized Scheduled Tribes employees/ ST Employees Welfare Association to sort out their problems and grievances? Please furnish details/ frequency of such meetings. The minutes of the last meeting with the Association may be enclosed.

- (viii) कृपया तालिका 6 में अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों के अधिकारों के उल्लंघन एवं उनके साथ भेदभाव के संबंध में प्राप्त एवं निपटायी गयी शिकायतों की संख्या के बारे में ब्यौरा प्रस्तुत करें :

Please furnish details in the following **TABLE 6** about the number of complaints received and disposed off in respect of discrimination or violation of rights of ST employees:

**TABLE 6**

वर्ष Year	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की प्रकृति एवं निपटान Nature of complaints received and disposal during the year						
		पदोन्नति Promotion	वरिष्ठता Seniority	स्थानान्तरण Transfer	प्रशिक्षण सहित एचआरडी HRD including Training	उत्पीड़न के अन्य प्रकार Other type of harassment	कुल TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	सं. No.						

	निपटान Disposal						
	सं. No.						
	निपटान Disposal						
	सं. No.						
	निपटान Disposal						
	सं. No.						
	निपटान Disposal						
<b>कुल TOTAL</b>	सं. No.						
	निपटान Disposal						

- (ix) क्या अनुसूचित जनजाति महिला कर्मचारी के यौन उत्पीड़न का कोई मामला विभाग के ध्यान में लाया गया है? यदि हां, तो कृपया उसका ब्यौरा और की गई कार्रवाई का ब्यौरा प्रस्तुत करें।

Has any case of sexual harassment of ST women employees been brought to the notice of the Department? If so, please furnish the details thereof and action taken.

- (x) क्या विभाग में अस्तित्व/ कार्यरत/ आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र हैं ।

Whether internal grievance redressal mechanism is existent/ functional in the Department

- (a) प्राप्त शिकायतों की संख्या  
Number of grievances received
- (b) निवारण शिकायतों की संख्या  
Number of grievances addressed
- (c) लंबित शिकायतों की संख्या  
Number of grievances pending

### 3.11 अन्य संबंधित मुद्दे Other related issues

- (i) कृपया इस विषय पर कर्मचारी संघ या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारी संघों के साथ स्थानान्तरण नीति एवं समझौते के ज्ञापन का एक सेट प्रस्तुत करें।

Please furnish a set of transfer policy and Memorandum of agreement with the Employees Union or SC/ ST Employees Associations on the subject.

- (ii) क्या स्थानान्तरण एवं पदस्थापन के मुद्दे पर अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों के संरक्षण से संबंधित डीओपीटी द्वारा जारी अनुदेशों का अनुसरण किया जा रहा है?

स्थानान्तरण नीति एवं पिछले पांच वर्षों में निपटाए गए मामलों पर एक संक्षिप्त नोट प्रस्तुत करें।

Whether instructions issued by DoPT regarding protection to ST employees in the matter of transfer and postings are being followed?

A brief note on the transfer policy and the cases dealt in the last five years may be furnished.

- (iii) कृपया यह भी बताएं कि क्या ऐसे उदाहरण हैं जहां व्यक्तियों ने झूठे अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्रों के आधार पर आपके संगठन में रोजगार प्राप्त किया है?

यदि हां तो कृपया ऐसे मामलों की संख्या, की गई कार्रवाई और प्रत्येक मामले की वर्तमान स्थिति इंगित करें।

कृपया ऐसे मामलों को घटित होने से टालने के लिए उठाये गये कदमों को भी इंगित करें।

Please also state whether instances have come to the notice where persons have obtained employment in your Department/ organization on the basis of false caste certificate?

If so, please indicate the number of such cases, action taken and present position of each case.

Also, please indicate the steps taken to avoid the occurrence of such cases.

- (iv) क्या क्रमशः आपके विभाग/संगठन और अधीनस्थ कार्यालयों तथा लोकक्षेत्र उपक्रमों की वार्षिक रिपोर्ट में आपके संगठन में कोई संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों तथा लोकक्षेत्र उपक्रमों में भी सेवाओं/पदों में अनुसूचित जनजातियों (उसी तरह अनुसूचित जातियों के भी) के प्रतिनिधित्व से संबंधित एक पृथक अध्याय/अनुच्छेद शामिल किया जा रहा है?

Whether a separate Chapter/ paragraph relating to representation of Scheduled Tribes (as also of Scheduled Castes) in services/posts in your organization and also in the attached and subordinate offices and PSUs is being incorporated in the Annual Report of your Department/ Organization and subordinate offices and PSUs respectively?

- (v) कृपया जिन्हें ऐसी सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं ऐसे कर्मचारियों की कुल संख्या की तुलना में अनुसूचित जनजातियों के ऐसे कर्मचारियों की संख्या इंगित करें जिन्हें सरकारी आवास आवंटित किए गए हैं।

Please indicate the number of Scheduled Tribes who have been allotted

Government accommodation against the total number of employees provided such facilities.

\*\*\*\*\*